

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:- 145/2021

उनवान


रकीमुदीन बनाम सदीक वगै०

दावा बाबत :- घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, व 92ए
आर.टी.एक्ट

दिनांक:- 24.02.22

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री विजयपाल उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 24.02.22 को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.02.22 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।


(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	46
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हुक्मनाम	
बाबत इजराय हुक्मनाम		मुतफरिक	46
योग	48		


उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू